न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
24 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	06.05.2019	08.10.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम ...... प्रार्थी

1–श्री सम्पत कुमार जैन पुत्र श्री सोहन लाल जैन एफ.बी.ओ मैसर्स सम्पत कुमार एण्ड कम्पनी बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक निवासी गढ की गली वार्ड नं0 5 लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक

2– मैसर्स सम्पत कुमार एण्ड कम्पनी बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक

3–श्रीमति गीता देवी डंगायच प्रोपरायटर मैसर्स श्री गीता इण्डस्ट्रीज पी–2 सूरजपोल मण्डी जयपुर राज0 एफ–138 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बस्सी जयपुर

4– मैसर्स श्री गीता इण्डस्ट्रीज पी–2 सूरजपोल मण्डी जयपुर राज0 एफ–138 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बस्सी जयपुर

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–श्री पवन जैन,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 08.10.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2019 को समय 2.19 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सम्पत कुमार एण्ड कम्पनी बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री सम्पत कुमार जैन पुत्र श्री सोहन लाल जैन एफ.बी.ओ मैसर्स सम्पत कुमार एण्ड कम्पनी बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक निवासी गढ की गली वार्ड नं0 5 लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित थे, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murarilal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:53 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **शुगर बुरा प्रो आर्गेनिक लाईफ ब्राण्ड पॉली पैक (Sugar Bura Pra Organic Life Brand poly Pack)** जिसके बैच नं0 अनुपस्थित व पैकिंग दिनांक जनवरी 2019 थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री सम्पत कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सम्पत कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 1 किलोग्राम के 25 प्लास्टिक के कट्टे मे **शुगर बुरा प्रो आर्गेनिक लाईफ ब्राण्ड पॉली पैक (Sugar Bura Pra Organic Life Brand poly Pack)** रखे हुये मे से 1–1 किलोग्राम के 4 मूल पैक का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री सम्पत कुमार जैन को रू0 168/–अक्षरे सौ अडसठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **शुगर बुरा प्रो आर्गेनिक लाईफ ब्राण्ड पॉली पैक (Sugar Bura Pra Organic Life Brand poly Pack)** 1–1 किलोग्राम के 4 नग कुल मात्रा 4 किलोग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 1 किलोग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अलग–अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2097 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2097 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. सम्पत कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री सम्पत कुमार जैन ने मौके पर **शुगर बुरा प्रो आर्गेनिक लाईफ ब्राण्ड पॉली पैक (Sugar Bura Pra Organic Life Brand poly Pack)** बतोर वारंटी बिल मैसर्स श्री गीता इण्डस्ट्रीज पी–2 सूरजपोल मण्डी जयपुर राज0 एफ–138 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बस्सी जयपुर का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 15503 दिनांक 21.01.2019 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया एवं फार्म नं0 6 की प्रति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 17:25:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

उटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य योगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य धिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/688 दिनांक 22.03.2019 के द्वारा ज्ञात आ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट 0 एल0एस0/414/एक्ट/2019/366 दिनांक 01.03.2019 अनुसार सम्पत कुमार जैन से लिये नमूना जांच विक्रय किया गया **शुगर बुरा प्रो आर्गेनिक लाईफ ब्राण्ड पॉली पैक** (Sugar Bura Pra Organic Life Brand poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **शुगर बुरा प्रो आर्गेनिक लाईफ ब्राण्ड पॉली पैक** (Sugar Bura Pra Organic Life Brand poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **शुगर बुरा प्रो आर्गेनिक लाईफ ब्राण्ड पॉली पैक** (Sugar Bura Pra Organic Life Brand poly Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **शुगर बुरा प्रो आर्गेनिक लाईफ ब्राण्ड पॉली पैक** (Sugar Bura Pra Organic Life Brand poly Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री सम्पत कुमार जैन पुत्र श्री मोहन लाल जैन एफ.बी.ओ मैसर्स सम्पत कुमार एण्ड कम्पनी बस स्टैण्ड लावा तहसील [illegible] जिला टोंक निवासी गढ की गली वार्ड नं0 5 लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति [illegible] 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थीया श्रीमति गीता देवी डंगायच [illegible] श्री गीता इण्डस्ट्रीज पी–2 रीको इण्डस्ट्रीयल [illegible] बस्सी जयपुर पर शास्ति सूरजपोल मण्डी जयपुर राज0 एफ–138 [illegible] उक्त दण्ड की राशि जरिये 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:53 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

राशि न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

8.10.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:53 IST
Reason: SelfAttested